


र तारीख
जो इस
तामील

मोहनसिंह बनाम बिरतेर कांच

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-08-2025	<p>पञ्जावली पेग डूबे वकील उमपंकर उमपंकर पञ्जावली व पञ्जावली पर उमपंकर निर्वाह का आवल्लोकित विषय गण। आवल्लोकित से स्पष्ट है कि उमपंकर काय ज्ञान पुरतुल शफीनामा खरीदार मोप पावे लडे पर खरये शफीनामा वकील गरी का खरू पर खरीदार विषय फाल है विरुद्ध निर्वाह उमपं है विरुद्धवाय फाल शागिल पञ्जावली विषय गण। पञ्जावली केराल कुमल होव कोकरण प्रदण निष्ण 344 व उमपंकर उमपंकर बनाक मोहन सदे</p>	


न्यायालय अधिकारी
बरेली (बी.अ.पुर) सज.

न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 0 36 / 21

1. उमेश शर्मा

2. राजेश कुमार शर्मा

3. भूदवे शर्मा

पुत्रगण देवीराम जातिवान ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी
जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह

2. जनकसिंह

3. नैमसिंह

4. दशरथ पुत्र देवीराम जाति ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर

5. किरनदेवी पत्नी देवीराम जाति ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत भूस्वामी

पुत्रगण बृखभानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोरीपुरा तहसील
तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अधीन धारा 88,183, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी -सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

वकील वादी - श्री जाकिर रिजवी एड,

वकील प्रतिवादी -श्री राजवीरसिंह परमार एड.

कान्सोलिडेट

प्रकरण संख्या 0 56 / 21

1. मोहनसिंह

2. जनकसिंह

3. नैमसिंह

पुत्रगण बृखभानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोरीपुरा तहसील
तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. किरनदेवी पत्नी देवीराम

2. उमेश पुत्र देवीराम

3. भूदवे शर्मा पुत्र देवीराम

4. राजेश पुत्र देवीराम

5. दशरथ पुत्र देवीराम

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

7. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल (एस.बी.आई शाखा बसेडी

जातिवान ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी
जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अधीन धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी -सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

वकील वादी - श्री राजवीर सिंह परमार एड,

वकील प्रतिवादी -श्री जाकिर रिजवी एड.

दिनांक:-14.08.2025

निर्णय



उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.



प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश बनाम मोहन सिंह बगेरा में वकील वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 88 आरटी एक्ट में विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.3100 है0 स्थित बाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर है। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या एक व दो 1/4 - 1/4 हिस्सा कुल 1/2 हिस्से के व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या चार व पाँच के पिता व पति स्व0 श्री देवीराम पुत्र किरोड़ीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिपरौन तहसील बसेड़ी 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या चार व पाँच के पिता व पति देवीराम पुत्र किरोड़ीलाल का देहान्त सन 2014 में हो गया है मृतक देवीराम से वादीगण व प्रतिवादी संख्या चार व पाँच के नाम अभी विरासत का नामान्तकरण नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन का उक्त विवादग्रस्त आराजी में कोई हक हितव अधिकार नहीं है। फिर वह उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर जबरन चलाव व लट्ट से अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में है। दिनांक 28.05.2021 को वादीगण विवादग्रस्त आराजी पर उनकी देखरेख करने के लिए गए तो वहां पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 वादीगण की खातेदारी आराजी में पत्थर डालकर निर्माण कार्य शुरू करने की फिराक में थे। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 ने वादीगण को उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में बेदखल कर नीव अवैध रूप से दाखत के बल पर खोदकर निर्माण कार्य शुरू करने की धमकी दी। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह जरिये न्यायालय विवादग्रस्त आराजी में मृतक देवीराम के 1/2 हिस्से पर अपने को व प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार इन्द्राज कराने व प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 से कब्जा वापस प्रतिवादीगण को दिलाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करे ना ही किसी नौकर या एजेन्ट द्वारा करावें। राजस्थान जरिये तहसीलदार बसेड़ी को वहैसियत भू-स्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:-

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.3100 है0 स्थित बाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेड़ी में मृतक देवीराम पुत्र किरोड़ीलाल के हिस्सा 1/2 पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या चार व पाँच को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार इन्द्राज किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 द्वारा किये गये विवादग्रस्त आराजी में अवैध कब्जे व निर्माण कार्य को प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन खर्चे पर ध्वस्त व प्रतिवादीगण संख्या चार व पाँच को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। और नहीं किसी नौकर या एजेन्ट द्वारा कारावे।

कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई बगेरा में वकील वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी स्थित बाके ग्राम पिपरौन हाल जमाबन्दी सवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 23 के खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.31 है0 जिसका पुराना बन्दोवस्त सम्वत् 2005 से 2025 से पूर्व का खसरा नम्बर 941 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा व उससे भी पूर्व के बन्दोवस्त सम्वत् 2022 के खसरा नम्बर 4940/3 व 4941/3 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा थे व उसमें भी पूर्व दोहरे खसरा नम्बर 5292 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा था। उक्त जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य 4 नम्बर भी है परन्तु उनसे वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना ही उन नम्बरों पर कोई विवाद है उक्त वर्णित नम्बर ही दावे की आगामी मदों में विवादित आराजी के नाम सम्बन्धित किया गया है उक्त खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.31 है0 के पूर्व



जयसिंह अग्रिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) जय.



खातेदार काशतकार वादीगण के पिता श्री बिरखा बल्द हरिविलास थे जो जीवन पर्यन्त उक्त विवादति अराजी पर काबिज होकर काशत करते रहे फसल प्राप्त करते रहे उक्त खसरा नम्बर रोड से सटा हुआ व ग्राम आवादी के मध्य स्थिति था इसलिए हम वादीगण के पिता ने विवादित नम्बर के हिस्से में अरसा करीब 50 साल पूर्व मकान का निर्माण भी कराया जिसमें हम वादीगण अभी तक उसमें निवास कर रहे हैं व शेष बचे नम्बर पर पेड पोधा लगा दिये व वाडा बना लिया तब से लेकर अब तक वादीगण व उनका परिवार उक्त नम्बर पर काबिज रहकर कुछ नम्बर पर निवास व कुछ नम्बर पर काशत करता चला आ रहा है वादीगण के पिता की मृत्यु करीब 30 साल पूर्व होने के बाद हम वादीगण भी तदनुसार उक्त काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं जबकि प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर पर कभी भी काशत करने नहीं आये न कभी काबिज रहे व उनका इस नम्बर से कोई संबन्ध सरोकार नहीं रहा अरसा करीब 15 दिन पूर्व प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर यानी वादीगण के घर आये और आकर धमकी देने लगे कि तुम उक्त घर को खाली करो इस खसरा नम्बर पर तो हमारा नाम बोल रहा है हमारे अन्य खेतों के साथ हमारे खाते में दर्ज है तुम अभी के अभी मकान व शेष आराजी को खाली करके चले जाओ नहीं तो हम तुम पर मुकदमा दर्ज कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा देगे व जबरन मकान व शेष आराजी पर कब्जा करेगे तो वादीगण व अन्य गांव वालों ने प्रतिवादीगण को समझाया कि वे वादीगण उक्त खसरा नम्बर में बने मकान व शेष नम्बर पर सैकड़ों वर्षों से काबिज है तो यह तुम्हारा कैसे हो गया तो इतना कहने के बाद प्रतिवादीगण एक दम नाराज हो गये और धमकी दी कि हम कुछ नहीं जानते आप कितने ही वर्षों से इस में रह रहे हो या काशत कर रहे हो आज यह नम्बर हमारे नाम दर्ज है हमारा है हम जबरन कब्जा करेगे नहीं तो पुलिस के जरिये तुम्हें झूठे मुकदमे फसायगे गांवा वालो के कहने से उस दिन तो उक्त लोग चले गये परन्तु आयन्दा देख लेने की धमकी देकर गये हैं जो न्यायालय श्रीमान से नाम का फायदा लेकर झूठा दवा पेश कर वादीगण को पाबन्द कराना चाहते हैं जो गलत है प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी धमकी के बाद वादीगण ने पटवारी के पास राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि वास्तव में रिकार्ड व पूर्व में कई वर्षों से प्रतिवादीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर पर दर्ज है जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड भू अभिलेखगार धौलपुर में अवलोकन कर नकले ली तो पता चला कि वादीगण के पिता की अनपढ व सीधे इन्सान होने का फादा लेकर उक्त खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुष देवीराम व एक अन्य दीगर व्यक्ति नेमीचन्द्र द्वारा बन्दोवस्त कर्मचारियों से साजिशकर वादीगण के पिता बिरखा बल्द हरिविलास का नाम कटवा दिया व उक्त नम्बर से कोई संबन्ध व सरोकार नहीं होने के बाद भी अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसका न तो प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुषों को कोई अधिकार था और ना ही बन्दोवस्त कर्मचारियों को किसी भी पूर्व एन्ट्री को बदलने का अधिकार था जिसे शुद्ध कराने के वादीगण अधिकारी व दावेदार हैं क्येकि वादीगण के पिता बिरखा बल्द हरिविलास का राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर में सम्वत् 2011 से ही खुद काशत दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 स्पष्ट वादीगण के पिता का नाम उक्त नम्बर पर दर्ज है उसके बाद दौराने बन्दोवस्त प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुष द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया है जो पूरी तरह अवैध व गैर कानूनी है प्रतिवादीगण हाल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज होने का फायदा लेकर वादीगण को आये दिन झूठी शिकायत कर व अन्य किसी तरह दीगर लठट् वाले व्यक्ति को बचने की धमकी देकर व पुलिस में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर आये दिन तंग व परेशान कर रहे हैं और इसी के चलते पूर्व में भी अपनी आराजी के साथ वादीगण के कब्जे काशत वाले उक्त नम्बर को भी तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 के यहा रहन रखने लोन ले चुके हैं जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है दौराने बन्दोवस्त प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुषों द्वारा करायी गयी प्रविशिष्टियों (एन्ट्री) से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हांसिल नहीं होते हैं ना ही वादीगण के अधिकार समाप्त होते हैं इसी के चलते प्रतिवादीगण ने एक दावा न्यायालय श्रीमान में बटवारे हेतु वादीगण के ~~संबन्ध~~ प्रस्तुत कर दिया है जो अवैध व काबिल खारिजी के है



उपरोक्त अधिकारी
बसेदी (धौलपुर) राज.



वादीगण बन्दोवस्त के दौरान की गयी गलत प्रविशिष्टियों को शुद्ध कराकर अपना नाम शुद्ध कराने का अधिकारी है प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूखों द्वारा करायी गयी गलत एन्ट्री के आधार पर हाल जमाबन्दी में आये नामों को हटावाने (विलोपित) करा पाने के वादीगण अधिकारी है व इसी प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि हाल राजस्व रिकार्ड में नाम का गलत फायदा लेकर वादीगण के कब्जे वाले नम्बर को कही रहन वय बेचान नही करे नाही कोई अनावश्यक दवाब बनाकर वादीगण को तंग व परेशान न करे ना ही अन्य से करावे इस प्रकार की घोषणा न्यायालय श्रीमान से वादीगण करा पाने के अधिकारी व दावेदार है प्रतिवादीगण द्वारा हाल जमाबन्दी में अपने नाम का गलत फायदा लेकर वादीगण की ककब्जे वाली आराजी को कही दीगर जगह रहन वय या मुन्तकिल कर दिया या बने हुए मकान पर जबरन कब्जा कर लिया या झूठी शिकायतों पर वादीगण को परेशान किया तो वादीगण को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति धन अथवा अन्या किसी भी प्रकार से सम्भवं नही हो सकेगी अर्थात वादीगण को अपरक्षिति होगी वाकारण वाके ग्राम कोरीपुरा (पिपरौन) में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दी गयी उनकी आराजी से वेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ जो आज भी जारी है तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 को व हैसियत लैण्ड होल्डर होने केब कारण तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 को विादित आराजी रहन होने के कारण तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है उनके खिलाफ कोई भी दादरसी नही चाही गयी है। विवादित आराजी वाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर में स्थिति होने से न्यायालय श्रीमान को सुनने का क्षेत्राधिकार हांसिल है

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:-

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा अदालत निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.3100 है0 स्थित बाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेडी का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जावे। बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा की गई गलत एन्ट्री को राजस्व रिकॉर्ड व हाल जमाबन्दी से उक्त नम्बर पर प्रतिवादीगण का नाम तर्क किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम का फायदा लेकर वादीगण को पुखता निर्मित मकान व शेष आराजी से जबरन वेदखल नही करे ना ही कोई झूठी शिकायतकर या कही रहन वय मुन्तकिल कर वादीगण को परेशान नही करे न किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें।

प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश शर्मा बनाम मोहन सिंह को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 4 व 5 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत न होने पर प्रतिवादीगण 4 व 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 की ओर श्री राजवीर परमार अधिवक्ता ने जबावदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया।

प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहन सिंह बनाम किरनदेई को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 6 व 7 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत न होने पर प्रतिवादीगण 6 व 7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 की ओर श्री सुरेश श्रीवास्तव अधिवक्ता ने जबावदावा पेश किया।

प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई में वादीगण मय अधिवक्ता के उपरिथत होकर उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते कन्सोलिडेट पेश कर प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई को प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश शर्मा बनाम मोहन सिंह के साथ समान आराजी व समान पक्षकार होने के कारण कन्सोलिडेट किये जाने का निवेदन किया व वकील प्रतिवादी ने कन्सोलिडेट किये जाने की सहमति दी। प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई में वकीलवादी का प्रार्थना पत्र वावत कन्सोलिडेट स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई



Handwritten signature and stamp of the District Court, Dhoulpur, Rajasthan. The text below the signature reads 'जुआरान्द अधिकारी' and 'धौलपुर (राजपुर) जज'.




स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई को प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश शर्मा बनाम मोहनसिंह के साथ कन्सोलिडेट किया जाता है।

प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश शर्मा बनाम मोहन सिंह में उपयपक्षकारन ने मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि "वादग्रस्त आराजी स्थित वाके ग्राम पिपरौन के हाल खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.3100 है0 जिसका पुराना बन्दोवस्त न 941 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा व बन्दोवस्त 2022 का पुराना नम्बर 4940/3 व 4941/3 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा व दोहरे खसरा मिलान का नम्बर 5292 था। उक्त खसरा नम्बर के मालिक व खातेदार काश्तकार आयन्दा प्रतिवादीगण मोहनसिंह बगैरा व दूसरे दावा मोहनसिंह बनाम किरनदेई में वादीगण ही उक्त वाद ग्रस्त आराजी के मालिक रहेंगे। हम वादीगण उमेश बगैरा द्वारा हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने के कारण कब्जा वापसी का दावा गलत पेश कर दिया था। बाद में जब हमने पुराने बन्दोवस्त से पूर्व के रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि बन्दोवस्त से पूर्व में उक्त वादग्रस्त आराजी मोहनसिंह बगैरा के पिता विरखा सिंह के नाम बोल रही है। आज दिनांक तक मोहनसिंह बगैरा का ही कब्जा चला आ रहा है। हम वादीगण उमेश बगैरा का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा रहा और नहीं अब है। हम वादीगण उमेश बगैरा का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहेगा न ही हमारे वारिसान को कोई हित अधिकार इस आराजी में बनेगा। आज ही हमारा दावा खारिज कराकर व अपना दावा मोहन सिंह बनाम किरनदेई बगैरा को डिकी कराकर वादग्रस्त आराजी से हमारा यानी उमेश बगैरा का नाम तर्क कराकर अपना नाम चढ़वा लेवे। राजीनामा में बाद में प्रार्थना की है कि मुताविक राजीनामा दावा मोहनसिंह बनाम किरनदेई बगैरा को डिकी किया जाकर हमारा दावा उमेश बनाम मोहन सिंह को खारिज कर वादग्रस्त खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.3100 है0 ग्राम पिपरौन का खातेदार काश्तकार मोहनसिंह बगैरा को घोषित किया जावे।" हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड बन्दोवस्त सम्वत 2022 से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2019 के अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर 5292 को खातेदार काश्तकार मोहनसिंह बगैरा के पिता विरखा पुत्र हरिविलास दर्ज रिकॉर्ड है। अतः मेरी राय में उक्त राजीनामा को तस्दीक कर स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी मोहनसिंह बगैरा का वाद पत्र प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई बरूये राजीनामा डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1063 करवा 0.3100 है0 बाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेडी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 किरनदेई बगैरा का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 किरनदेई बगैरा के स्थान पर वादीगण मोहन सिंह बगैरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें। प्रतिवादीगण किरनदेई बगैरा को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करे और नहीं किसी नोकर या ऐजेन्ट द्वारा करावें तथा प्रकरण संख्या 36/21 वउनवान उमेश बनाम मोहन सिंह को खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना बहन करेगें। पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 14.08.2025 को यह फँसला मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(सारेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी

डिकी व मुकदमे की इब्तादाई
(ओ 20 ए 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.
उमेश बनाम मोहन सिंह बगैरा
मोहन सिंह बगैरा बनाम किरनदेई बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन

अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 36/21

मुकदमा नम्बर 56/21

वादी की की ओर से श्री राजवीर परमार एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 14.08.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

अतः दावा वादी मोहनसिंह बगैरा का वाद पत्र प्रकरण संख्या 56/21 वउनवान मोहनसिंह बनाम किरनदेई बरुये राजीनाम डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1063 करवा 0.3100 है0 बाके ग्राम पिपरौन तहसील बसेडी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 किरनदेई बगैरा का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 किरनेदेई बगैरा के स्थान पर वादीगण मोहन सिंह बगैरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण किरनदेई बगैरा को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे और नही किसी नोकर या ऐजेन्ट द्वारा करावे खर्चा फरीकेन अपना-अपना बहन करेगें। राजीनामा डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्डाधिकारी
मुकाम बसेडी
बसेडी (बी.ए.ए.एस.) जज
बसेडी

वादी		प्रतिवादी	
	रुपये		रुपये
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	-	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय			
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	



उपखण्डाधिकारी
मुकाम बसेडी
बसेडी (बी.ए.ए.एस.) जज

डिकी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत

उपखण्डाधिकारी मुकाम

बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.
उमेश बनाम मोहन सिंह बगैरा

1. उमेश शर्मा
2. राजेश कुमार शर्मा
3. भूदवे शर्मा

पुत्रगण देवीराम जातिवान ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी
जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह
2. जनकसिंह
3. नैमसिंह
4. दशरथ पुत्र देवीराम
5. किरनदेवी पत्नी देवीराम
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी

पुत्रगण बृखभानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोरीपुरा तहसील
तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर
ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर
बहैसियत भू0स्वामी

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अधीन धारा 88,183, 188 आर.टी. एक्ट

मोहनसिंह बगैरा बनाम किरनदेई बगैरा

1. मोहनसिंह
2. जनकसिंह
3. नैमसिंह

पुत्रगण बृखभानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोरीपुरा तहसील
तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. किरनदेवी पत्नी देवीराम
2. उमेश पुत्र देवीराम
3. भूदवे शर्मा पुत्र देवीराम
4. राजेश पुत्र देवीराम
5. दशरथ पुत्र देवीराम
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी
7. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल (एस.बी.आई शाखा बसेडी)

जातिवान ब्राह्मण निवासी पिपरौन तहसील बसेडी
जिला धौलपुर।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

पीठाधीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.



उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
जिला धौलपुर (बीकानेर) राज.

